न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 15/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना कालवाड

बनाम

1. श्री कुंजबिहार पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी खोराबीसल, थान करधनी, जिला जयपुर।
2. श्री बृजबिहार पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी खोराबीसल, थान करधनी, जिला जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामनारायण शर्मा निवासी गोविन्दपुरा, थाना करधनी, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 23.05.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना कालवाड, जिला जयपुर शहर(पश्चिम) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.08.2006 को रात्रिकालीन गस्त के
दौरान मारुति वेन नं. आरजे01–सी–2479 को रुकवाना चाह लेकिन चालक गाडी भगा ले गया। जाप्ते द्वारा
पीछा करके गाडी को रुकवाया और गाडी भागने का कारण पूछने पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब
नही दिया गया। गाडी मे चैक करने पर दो लोहे के ड्रम मय 200 लीटर केरोसीन व एक जरीकेन प्लास्टिक
मय 40 लीटर केरोसीन के रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त केरोसीन के संबंध में कोई वैध प्राधिकार पत्र व
क्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कुल 440 लीटर केरोसीन मय दो लोहे के ड्रम व 1 प्लास्टिक
की जरीकेन को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1
व 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 3 इनका सहअरोपी (सहअभियुक्त) है। अप्रार्थीगण
की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक बहस में नियत रहने के दौरान अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई
गयी। परन्तु अप्रार्थीगण में से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को
दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2024 को
आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और पत्रावली अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दिनांक
11.08.2006 को रात्रिकालीन गस्त के दौरान मारुति वेन नं. आरजे01–सी–2479 से अवैध केरोसीन का
परिवहन किया जा रहा था जिसे जब्त किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आज तक जब्त केरोसीन के
बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किये ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया
गया। अप्रार्थीगण द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध मे कोई क्लेम आज तक पेश
नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र से एवं अप्रार्थीगण के लगातार अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण
उक्त वर्णित कृत्य कारित किया गया है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण
व विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन आदेश 1993 के
प्रावधानो का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा जब्त दो लोहे के ड्रम मय कुल 400 लीटर
केरोसीन व एक जरीकेन प्लास्टिक मय 40 लीटर केरोसीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद
अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते है कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अंतिम निस्तारण किया
जाकर राशि राजकोष मे जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।